<u>ई-मेल</u> संख्या-आई/⁽¹⁵⁰⁾³⁵

लखनऊः दिनांकः २१ नवम्बर, २०२५

प्रेषक.

पी0 गुरूप्रसाद, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

1. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

विषयः- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ-2025 में संशोधन किये जाने संबंधी।

महोदय.

कृपया आप अवगत हैं कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथासंशोधित) को अवक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57 के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025" को शासनादेश संख्या-1323/2025/8-3099/208/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में लागू किया गया है।

2- उपविधि के क्रियान्वयन में आ रही कतिपय समस्याओं के संबंध में विकास प्राधिकरणों, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद एवं अन्य हित धारकों से प्राप्त सुझावों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि उपविधियाँ-2025 में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:- जा का का निर्णय लिया गया है :- जा का निर्णय लिया गया निर्णय लिया गया है :- जा का निर्णय लिया गया गया निर्णय लिया निर्णय लिया गया निर्णय लिया निर्णय लिया

क्र.सं.	प्रस्तर सं./ उपविधि का शीर्षक	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
(1)	1.6	, सेक्टोरल नीतियाँ	उपविधि के प्रस्तर 1.6 में निम्नलिखित नीतियों को सिम्मिलित किया जाता है :- • ''हाई-टेक टाउनशिप नीति-2003/2007 • इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 • इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 • उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023''
(2)	2.1.2/ থবন अनुज्ञा (i) ক	(i) क) अनुमोदित लेआउट में 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्रयोजन के भूखंडों एवं 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्रयोजन के भूखंडों को कम जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे भूखंडों में भवन निर्माण की अनुमति नीचे दिए गए क्रम संख्या (ii) के अनुसार होगी। ख) 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्रयोजन (बहु-इकाई को छोड़कर) एवं 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्रयोजन के भूखंडों में, जहाँ योजनाएँ एक अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार की गई हैं तथा यह प्रमाणित किया गया है कि प्रस्तावित निर्माण/ पुनर्निर्माण महायोजना एवं भवन उपविधि के अनुसार है, को मध्यम जोखिम	(i) क) 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्रयोजन के भूखंडों एवं 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्रयोजन के भूखंडों को कम जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे भूखंडों में भवन निर्माण की अनुमित नीचे दिए गए क्रम संख्या (ii) के अनुमादित लेआउट में 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्रयोजन (बहु-इकाई को छोड़कर) एवं 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्रयोजन के भूखंडों में, जहाँ योजनाएँ एक अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार की गई हैं तथा यह प्रमाणित किया गया है कि प्रस्तावित निर्माण/पुनर्निर्माण महायोजना एवं भवन उपविधि के अनुसार है को मध्यम जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे भूखंडों में भवन निर्माण की अनुमित नीचे दिए गए

		वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे क्रम संख्या (iii) और (iv) के अनुसार होगी।
		भूखंडों. में भवन निर्माण की अनुमति नीचे
	1	दिए गए क्रम संख्या (iii) और (iv) के
		अनुसार होगी।
(3)	2.1.3/	2.1.3.2: जहां भूखंड/भूमि का 2.1.3.2 जहां भूखण्ड/भूमि का आवंटन या
, ,	पूर्व-निर्गत	आवंटन/सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से आवंटन विशिष्ट
	अनुज्ञा तथा	किया गया हो तथा जिसमें भू- प्रतिबंधों के साथ किया गया हो, जैसे कि भू-
	प्राधिकरण	आच्छादन, एफ.ए.आर., सेट-बैक, भवन की आच्छादन, एफ.ए.आर., सेट-बैक, भवन
	द्वारा	ऊंचाई, पट्टा/विक्रय की शर्तों आदि पर ऊँचाई, लीज/विक्रय शर्ते आदि।
	आवंटित	विशिष्ट प्रतिबंध लागू हों: (vii) वे क्षेत्र जिन्हें महायोजना में प्राधिकरणों द्वारा
	भूखंडों हेतु	(vii) कुछ क्षेत्रों, जिन्हें महायोजना में विकसित क्षेत्र और अविकसित क्षेत्र के रूप में चिह्नित
	प्राविधान	प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं अविकसित किया गया था, अब अनिर्मित क्षेत्र के अंतर्गत माने
	7114411	क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया था, अब जाएंगे। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ
		अनिर्मित क्षेत्र का भाग होंगे। ऐसी इन उपविधियों में निर्दिष्ट अनिर्मित क्षेत्र के लिए बेस
		परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जहाँ इस एफ.ए.आर., विकसित क्षेत्रों की तुलना में अधिक हो।
	Ţ	
	'	एफ.ए.आर., विकसित क्षेत्रों के बेस शुक्क (Differential FAR Benefit Charge) देय
	·	एफ.ए.आर. से अधिक हो, ऐसी स्थिति होगा, किंतु इसकी गणना क्रय योग्य एफ.ए.आर.
		में, अंतरीय (Differential) एफ.ए.आर. लाभ के सूत्र के अनुसार की जाएगी चाहे वह क्षेत्र
	ļ	शुल्क देय होगा, परंतु इसकी गणना क्रय- प्राधिकरण द्वारा विकसित/ अनुमोदित लेआउट में
	:	योग्य एफ.ए.आर. के सूत्र से की जाएगी, चाहे आता हो या नहीं।
	į	वह क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित/विकसित ले-आउट
		विकसित/अनुमोदित किए गए किसी के बाहर स्थित भूखण्डों के लिए, जहां बेस
		लेआउट में आता हो या नहीं। एफ.ए.आर. में वृद्धि केवल विकास क्षेत्र को
İ	[T	अनिर्मित क्षेत्र के रूप् में पुनः नामित करने के
		कारण हुई हो, वहाँ कोई DFBC देय नहीं होगा।
(4)	2.9.3.1/	2.9.3.1 भवनों का वर्गीकरण 2.9.3.1 भवनों का वर्गीकरण
	भवनों का	(i) "फॉर्म-ए" बावासीय भवन हेतु। (i) "फॉर्म-ए" आवासीय भवन हेतु। नोट: 500 वर्ग
	वर्गीकरण	नोट: 500 वर्ग मीटर से कम् क्षेत्रफल के मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंडों पर आवासीय
		भूखंडों पर आवासीय भवनों हेतु पूर्णता भवनों हेतु पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त
	ı	प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं करना ुआवश्यक नहीं होगा। (परिशिष्ट-७)
		होगा। (ii) "फॉर्म-बी" ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक
		(परिशिष्ट-7) और बहुमंजिला भवनों के लिए। (परिशिष्ट-7)
		(ii) "फॉर्म-बी" ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक (iii) "फॉर्म-सी" आवासीय भवनों, ग्रुप
		और बहुमंजिला भवनों के लिए। (परिशिष्ट- हा्उसिंग, व्यावसायिक एवं बहुमंजिला भवनों को
		7) ्र छोड़कर सभी प्रकार के भवनों के
	i	(iii) "फॉर्म-सी" आवासीय भवनों, ग्रुप लिए। (परिशिष्ट-7)
	" [हाउसिंग, व्यावसायिक एवं बहुमंजिला भवनों (iv) "फॉर्म-डी" "ले-आउट प्लान" के
	i I	को छोड़कर सभी प्रकार के भवनों के लिए। लिए। (परिशिष्ट-4)
		(परिशिष्ट्-7ू)
		(iv) "फॉर्म-डी" "ले-आउट प्लान" के लिए।
		(परिशिष्ट-7)
(5)	3.1.1.3/	क्र. ले-आउट पहुंच मार्ग की पहुंच मार्ग के. जंउट पहुंच मार्ग की पहुंच मार्ग की
ĺ	पहुँच मार्ग	सं उपयोग न्यूनतम की न्यूनतम उपयोग न्यूनंतम चौड़ाई न्यूनतम चौड़ाई प्रकार चौड़ाई चौड़ाई (अनिर्मित क्षेत्र में)
		प्रकार चौड़ाई चौड़ाई (अनिर्मित प्रकार (निर्मित क्षेत्र में) (अनिर्मित क्षेत्र में) (अनिर्मित क्षेत्र में) (अनिर्मित क्षेत्र में) क्षेत्र में) क्षेत्र में) 1 आवासीय 06 10 एकंड़ तक 09
	i	1 आवासीय 06 मीटर 10 एकड़ तक 09
	"	मीटर 10 एकड़ से अधिक
	'	10 एकड़ से अधिक
		25 एकड़ तक 12 मीटर 12 मीटर 25 एकड़ से अधिक
	•	12 मीटर
	.	18 मीटर 2 गैर- 12 मीटर 10 एकड तक
]	2 गैर 12 मीटर 10 एकड़ तक 12 आवासीय 12 मीटर
		आवासीय मीटर 10 एकड़ से अधिक
		(व्यावसायिक एवं संस्थागुरा) 10 एकड़ से अधिक 25 एकड़ तक
	1	

(6)	3.1.4.1/ सामुदायिक तथा अन्य उपयोगों/ क्रियाओं हेतु मानक	25 एकड़ तक 18 मीटर 25 एकड़ से अधिक 24 मीटर 25 एकड़ से अधिक 24 मीटर 3.1.4 सामुदायिक तथा अन्य उपयोगों/क्रियाओं हेतु मानक 3.1.4.1 सामुदायिक सुविधाओं हेतु मानक अणी मानक भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल सास्कृतिक सुविधाएं क बारात घर प्रति 25,000 जन सामुदायिक संख्या पर-1 केंद्र 1000-3000 (अनिर्मित क्षेत्र) >3000 18 मीटर 25 एकड़ से अधिक 24 मीटर यानक यानक
(7)	3.2.1/ भूखंड का आकार एवं अपेक्षाएं	3.2.1 भूखंड का आकार एवं अपेक्षाएं नोट: पेट्रोल पंप/फिलिंग स्टेशन के प्रकरण में यिद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो वह स्वतः अभिभावी होगा। अभिभावी होगा। 3.2.1 भूखंड का आकार एवं अपेक्षाएं नोट-1: पेट्रोल पंप/फिलिंग स्टेशन के प्रकरण में यिद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो वह स्वतः अभिभावी (ओवरराईडिंग) होगा। नोट-2: निर्मित क्षेत्रों में यदि 4 मीटर संकम चौड़ी सड़क उपलब्ध है तो भूखंड के अग्रभाग की सड़क की सेंटर लाइन से 2 मीटर की दूरी होने पर भवन अनुज्ञा प्रदान की जसकती है।
(8)	3.2.2.3/ व्यवसायिक दुकानें/ कन्वीनिएन्स शॉपिंग/अन्य व्यवसायिक इकाइयां	3.2.2.3 व्यवसायिक-दुकानें/कन्वीनिएन्स शॉपिंग/अन्य व्यवसायिक इकाइयां क्र. उपयोग भू. क्षे बेस आधिकत एफ. य एफ.ए. या एफ.ए. अतर. पेट्रोल फिलिंग स्टेशन (निर्मित क्षेत्र) पेट्रोल फिलिंग स्टेशन (निर्मित क्षेत्र) पेट्रोल फिलिंग स्टेशन (अनिर्मित क्षेत्र)
(9)	3.2.4/ ਪਰਜ सੇਟ-ਕੈ ਂ	3.2.4.1 आवासीय-बहुखंडीय विकास (15 मीट (15 मीटर तक की ऊंचाई वाली एकल तक की ऊंचाई वाली एकल एवं 17.5 मीटर व एवं 17.5 मीटर की ऊंचाई वाली बहु- इकाइयाँ) नोट-5: प्रस्तर 3.2.4.1 की तालिका में निर्दिष्ट सेट नोट-5: प्रस्तर 3.2.4.1 की तालिका में बैक नए उप-विभाजन / ले-आउट योजना में ला

	!	निर्दिष्ट सेट-बैक नए उप-विभाजन/ले- आउट योजना में लागू होंगे। किन्तु अनिर्मित क्षेत्रों में उन ले-आउट के भीतर ऐसे आवासीय भूखंड, जिनमें सेट-बैक निर्दिष्ट नहीं है, उनका सेट-बैक भी ऊपर दिए गए					आवासीय भूखंडों का सेट-बैक भी ऊपर दिए गए प्रस्तर 3.2.4.1 के अनुसार होगा।						
		प्रस्तर 3.2.4.1 के				147 17							
(10)	3.2.4.7/	3.2.4.7 सामुदारि	ोक सुदि	धाएं	- 15	मीटर	T	3.2.4.7 सामुदायिक	सुविध	7एं - 1	5 मी		
	सामुदायिकं	तक ऊंचाई वाले	सार्वजनि	क रु	गुविध,	7		तक ऊंचाई वाले साव	<u>जिनिद</u>	क सुदि	धा भ	वनों में	1
	सुविधाएं -	भवनों में			<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			भूखंड का क्षेत्रफल	सेट-ब		टर		
	15 मीटर	भूखंड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)						ं(वर्गमीटर में)	अग्र	में) पश्च	गार्थ	पार्श्व-	
	तक ऊंचाई वाले	(4-)410(4)	अग्रभाग	पश्च भाग	-	पाश्व- 2			भाग	भाग	1	2	
	्रावील सार्वजनिक	मैरिज/बैंकेट/		411	 '			मैरिज/बैकेट/बहु-					
	सुविधा भवनों	बहु-उद्देशीय हॉल						उद्देशीय हॉल	<u> </u>			<u> </u>	
	में	≥1000 से <3000	12	4.5	4.5	3		≥750 to <1000 ≥1000 से <3000	6	3	3	0	
ļ		≥3000	12	5	5	5			12	4.5	4.5	3	
	ļ	सभागार्/कन्वेन्शन						≥3000 सभागार/कन्वेन्शन सेंटर	12	5	5	5	
		सेंटर						,					
		≥1500 से <3000	12	4.5	4.5	3		≥1500 से <3000	.12	4.5	4.5	3	
	ļ	≥3000	12	6	6	6		≥3000	12	6	6	6	
			काँटे	की	्र	<u> विधा</u>		नोट-1: धर्मकाँटे की	सुविध	ा न्यून	तम ६	मीटर	
		न्यूनतम ६ मीटर र्	के फ्रंट	सेट	-बैक	तथा	'	के फ्रंट सेट-बैक तथा एवं साइड सेट-बैक प्र	न्यूनत	H 3 ·	माटर ।	क पश्च	
		न्यूनतम ३ मीटर व		खं स	गइड	सेट-		एव साइड सट-बक्र प्र नोट 2: क्लब, गेस्ट					
ĺ		बैक प्रदान करनी	हागा।					गाट 2. पराव, गस्ट अन्य सामुदायिक सु	तिशाः विशाः	ा, ए। भोंके	स्टल लिए	मेट-	
	1						1	बैक तालिका 3.2.4. 4	। के उ	भनसा	र होंग	1	
							1	नोट-३: अन्य व्या	वसारि	पेक	भवन	ें के	
								लिए, जिनका उल्ल					
	ų į						1	गया है, सेट-बैक	उपवि	धि :	3.2.4.	3 के	
			-					अनुसार निर्धारित कि		<u>एंगे।</u>			
(11)	3.3.1.9/	3.3.1.9 पोर्च/पोर्टि			,			3.3.1.9 पोर्च/पोर्टिको					
	सेट-बैक में	भूखंड की सी)	भूखंड की सीमा रेखा वे	চুমী	तिर रि	ोम्नलि	ख़ेत् न्यृ	
	छूट '	निम्नलिखित न्यून							धीन	पा	र्च/पोर्	टका	की
		पोर्च/पोर्टिको की उ क) पोर्च/पोर्टिको	1नुशा द की ज	ाजा ।	एगा: त जै	निर्द २		अनुज्ञा दी जाएगी: का पोर्च कोर्चिको की		 		-0	امد
		मीटर होनी चाहिए					-	क) पोर्च/पोर्टिको की ' वाहिए (और अधिकतम	न्धूनत माजि	म घा ागाः ०	जीट इंडिड	HICK	हाना गीदर
		6 मीटर x 3 मीटर						नाहर (जार जायप्रशास तक हो सकती है),	1 41(7140	HICK	. X 4 '	HICK
	ı	ख) पोर्च/पोर्टिको						ख) पोर्च/पोर्टिको का	ा उप	योग	केवल	खली	छत
		छत (टेरेस) के रूप में किया जाएगा,			l (टेरेस) के रूप में किय	। जाए	गा,		<i>9</i>	0,,		
		ग) पोर्च/पोर्टिको के नीचे के स्थानों को				ा) पोर्च/पोर्टिको के नी			को प	क्का (पेव्ड)		
	i	पक्का (पेव्ड)	एवं चै	नलर्	गुक्त	बनाया		वं चैनल्युक्त बनाया र					_
		जाएगा, तथा	c			7 . 7 .		ग) ऊंचे (हाई-राइज़					
			ई-राइज़		भव •	_		अग्निशमन वाहन ः 	के	आवाग	ामन	में	बाधा
	, i	पोर्च/पोर्टिको आवागमन में बाधा	अग्निशः जनीः ज			इन के	=	ाहीं डालेंगे।					
		जापागमन म बाधा	नहा 5	<u>iei i</u>	<u> </u>		L	<u>-</u>					

(12)	3.3.4.3/ पार्किंग मानक	विभिन्न उपयोगों/अधिभोगों वाले भवनों के लिए पार्किंग व्यवस्था के मानक निम्नानुसार होंगे: (2) व्यावसायिक क्रम व्यावसायिक स. उपयोग का प्रकार (4) औद्योगिक भवन क्रम औद्योगिक भवन पार्किंग अपेक्षाएँ (ई.सी.एस.) 1 औद्योगिक भवन पार्किंग अपेक्षाएँ (ई.सी.एस.) 1 औद्योगिक भवन पार्किंग अपेक्षाएँ (ई.सी.एस.) प्रति 300 वर्गमीटर पर 1 2 प्लेटेड फैक्ट्रियां पर 1 3 डेटा सेंटर पर 1	विभिन्न उपयोगों/अधिभोगों वाले भवनों के लिए पार्किंग व्यवस्था के मानक निम्नानुसार होंगे: (2) व्यावसायिक क्रम व्यावसायिक स. उपयोग का प्रकार 4 होटल (अ) अंद्योगिक भवन क्रम औद्योगिक भवन पार्किंग अपेक्षाएँ (ई.सी.एस.) परिया पर 1.25 (अ) अंद्योगिक भवन पार्किंग अपेक्षाएँ (ई.सी.एस.) निर्मित क्षेत्र के प्रति 300 वर्गमीटर पर 1 निर्मित क्षेत्र के प्रति 200 वर्गमीटर पर 1 निर्मित क्षेत्र के प्रति 300 वर्गमीटर पर 1 निर्मित क्षेत्र के प्रति 300 वर्गमीटर पर 1 निर्मित क्षेत्र के प्रति 300 वर्गमीटर पर 1
(13)	4.1.3/ पहुँच मार्ग	4.1.3 पहुँच मार्ग (i) निर्मित क्षेत्र में एकल इकाइयों हेतु सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 4.0 मीटर एवं अनिर्मित क्षेत्रों में 9.0 मीटर होगी। परंतु अनिर्मित क्षेत्रों में 9.0 मीटर होगी। परंतु अनिर्मित क्षेत्र में पार्क/खुले स्थान के समीप स्थित सड़क या उन सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई, जिनके केवल एक ओर भूखंड प्रस्तावित हैं, 150 मीटर की लंबाई तक 6.0 मीटर तथा 300 मीटर की लंबाई तक 7.5 मीटर चौड़ी होगी। (ii) बहु-इकाइयों हेतु सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 9.0 मीटर होगी।	4.1.3 पहुँच मार्ग (i) निर्मित क्षेत्र में एकल इकाइयों हेतु सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 4.0 मीटर एवं अनिर्मित क्षेत्रों में 9.0 मीटर होगी। परंतु अनिर्मित क्षेत्र में पार्क/खुलपे स्थान के समीप स्थित सड़क या उन सड़कों कीन्यूनतम चौड़ाई, जिनके केवल एक ओर भूखंड प्रस्तावित हैं, 150 मीटर की लंबाई तक 6.0 मीटर तथा 300 मीटर की लंबाई तक 7.5 मीटर चौड़ी होगी। निर्मित क्षेत्रों में यदि 4 मीटर से कम चौड़ी सड़क उपलब्ध है तो भूखंड के अग्रभाग की सड़क की सेंटर लाइन से 2 मीटर की दूरी होने पर भवन अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है। (ii) बहु-इकाइयों हेतु सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 9.0 मीटर होगी।
(14)	6.1.4/ भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर.	नोट-2: 12 मीटर तक के मार्गों पर अनुमन्य शैय्या-रहित चिकित्सालयों हेतु क्रय योग्य अथवा प्रीमियम क्रय योग्य एफ.ए.आर की अनुमति नहीं दी जाएगी। बेस एफ.ए.आर. ही अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर होगा।	विलोपित
(15)	16.3.3/ शमनीय निर्माण	नोट-1: शमन से भवन की श्रेणी में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।	की अनुमति नहीं होगी, यदि लागू जोनिंग रेगुलेशन्स के अंतर्गत अनुमन्य नहीं है।
(16)	16.3.5(i) शमन शुल्क की गणना	यदि किसी भी प्रकरण में शमनीय निर्माण एक से अधिक प्रकार के अवैध निर्माण के अंतर्गत आता है, तो प्रस्तर 16.3.8 में एफ.ए.आर. के शमन हेतु अनुमन्य शुल्क के अनुसार उच्चतम श्रेणी के उपयोग का शमन शुल्क लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मंजिल/तल हेतु शमन शुल्क की गणना अलग से की जाएगी, यद्यपि, शमनीय भू-आच्छदन हेतु अतिरिक्त शमन शुल्क देय नहीं	यदि किसी भी प्रकरण में शमनीय निर्माण एक से अधिक प्रकार के अवैध निर्माण के अंतर्गत आता है, तो प्रस्तर 16.3.8 में एफ.ए.आर. के शमन हेतु अनुमन्य शुल्क के अनुसार उच्चतम श्रेणी के उपयोग का शमन शुल्क लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मंजिल/ तल हेतु शमन शुल्क की गणना अलग से की जायेगी, यद्यपि, शमनीय भू- आच्छादन हेतु अतिरिक्त शमन शुल्क देय नहीं होगा।

	ir		<u> </u>
	1	होगा। (परिशिष्ट-16 का संदर्भ ग्रहण करें)	
(17)	16.3.7(ङ)	16.3.7 (ङ) क्रय-योग्य एफ.ए.आर. हेतु	
	शमन शुल्क	नियमों के अनुसार देय शुक्क के अतिरिक्त	के अनुसार देय शुल्क के अतिरिक्त प्रस्तर
	की वसूँली	अनुसूची के क्रमांक-2 के अंतर्गत निर्धारित	
		दरों पर शमन शुक्क भी देय होगा।	
	ļ "	यद्यपि, क्रय-योग्य एफ.ए.आर. के	
	ii ii	प्रथम 10% हेतु क्रय-योग्य एफ.ए.आर.	नहीं होगा।
		शुल्क देय नहीं होगा।	
(18)	परिशिष्ट- 16	स्पष्टीकरणः ऐसे भूखण्डों पर	
	प्रकरण-3	कोई DFBC देय नहीं होगा, जो	
	, 1	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित/विकसित	
	,	लेआउट की सीमा से बाहर स्थित हैं, जहाँ	विलोपित
	2	बेस एफ.ए वृद्धि केवल विकास क्षेत्र को	
	,	अनिर्मित क्षेत्र के.आर. में रूप में पुनः	
		नामित किए जाने के कारण हुई है।	
(19)	परिशिष्ट-16	प्रकरण-9: भूखंड-P (100 वर्ग मीटर)	
	प्रकरण-9	एवं भूखण्ड-Q (200) वर्ग मीटर आकार	भूखण्ड-Q (200) वर्ग मीटर आकार
	<u>'</u>	के आवासीय भूखंडों का आमेलन	के आवासीय भूखंडों का आमेलन
	,	(का) आमेलन शु त्क	(का) आमेलन शुल्क
		आमेलन शुल्क (आवासीय) = आमेलित	आमेलन शुल्क (आवासीय) = आमेलित
	1	भूखंड क्षेत्र x सर्किल रेट x 1%	भूखंड क्षेत्र X सर्किल रेट X 1%
	ŀ	ओमेलन (गैर आवासीय) = आमेलित	ओमेलन (गैर आवासीय) = आमेलित
[1	1	·
! I	·	भूखंड क्षेत्र x सर्किल रेट X 2%	भूखंड क्षेत्र x सर्किल रेट x 1%

3- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में किये गये उपर्युक्त संशोधनों का अंग्रेजी रूपान्तरण निम्नवत् है :-

SI. No.	Clause No./, Clause Title	Current Provision	Amended Provision
1.	1.6 Sectoral Policies	Sectoral Policies	The following policies are included in Paragraph 1.6 of the Bye-Laws:- 1. Hi-Tech Township Policy- 2003 / 2007 2. Integrated Township Policy- 2005 3. Integrated Township Policy- 2014 4. Uttar Pradesh Township Policy – 2023
2.	2.1.2 Building Permission (i) a	(i) (a) Plots of size up to 100 square meters for residential purpose and plots of size up to 30 square meters for commercial purpose in approved layouts shall be classified under low-risk category. Building permissions in such plots shall be as per sl. no. (ii) below. (b) Plots of size upto 500 square meters for residential purpose (except multi-unit) and plots of size up to 200 square meters for commercial purpose, where the plans are prepared by a licensed technical person and certified that the proposed construction/reconstruction is as per the master plan and building byelaws, shall be classified under	(i) (a) Plots of size up to 100 square meters for residential purpose and plots of size up to 30 square meters for commercial purpose shall be classified under low-risk category. Building permissions in such plots shall be as per sl. no. (ii) below. (b) Plots of size upto 500 square meters for residential purpose (except multiunit) and plots of size up to 200 square meters for commercial purpose, in approved layouts, where the plans are prepared by a licensed technical person and certified that the proposed construction/ reconstruction is as per the master plan and building bye-laws, shall be classified under medium-risk category. Building permissions in such plots shall be as per sl. no. (iii) and (iv) below.

		medium-risk category. Building permissions in such plots shall be as per sl. no. (iii) and (iv) below.				
3.	2.1.3 Pre-issued Permissions and provisions for plots allotted by Authority.	2.1.3.2: (vii) Certain areas which were earmarked as Developed Areas and Undeveloped areas by Authorities in the Master Plans, will now be a part of Non-built-up area. Situations may arise where the base FAR for Non-built-uparea as prescribed in these byelaws will be higher than the base FAR for Developed Areas. In such cases, the Differential FAR Benefit Charge shall be due, but it shall be calculated using the formula of purchasable FAR, irrespective of whether the area falls in a layout developed/approved by the Authority or not.	earmarked as Developed Areas and Undeveloped areas by Authorities in the Master Plans, will now be a part of Non-built-up area. Situations may arise where the base FAR for Non-built-up-area as prescribed in these byelaws will be higher than the base FAR for Developed Areas. In such cases, the Differential FAR Benefit Charge shall be due, but it shall be calculated using the formula of purchasable FAR, irrespective of whether the area falls in a layout developed/approved by the Authority or not.			
4.	2.9.3.1 Classification of buildings	2.9.3.1 Classification of buildings (i) 'Form-A' for Residential Building. Note: It shall not be necessary to obtain completion certificate forresidential buildings on plots of area less than 500 square meters. (Appendix-7) (ii) 'Form-B' for group housing, commercial and multi-storey buildings. (Appendix-7) (iii) 'Form-C' for all types of buildings except residential buildings, group housing, commercial and multi-storey buildings. (Appendix-7) (iv) 'Form-D' for "Lay-out Plan". (Appendix-7)	2.9.3.1 Classification of buildings (i) 'Form-A' for Residential Building. Note: It shall not be necessary to obtain completion certificate forresidential buildings on plots of area less than 500 square meters. (Appendix-7) (ii) 'Form-B' for group housing, commercial and multi-storey buildings. (Appendix-7) (iii) 'Form-C' for all types of buildings except residential buildings, group housing, commercial and multi- storey buildings. (Appendix-7) (iv) 'Form-D' for "Lay-out Plan". (Appendix-4)			
5.	3.1.1.3 Means of Access	Sl. Layout - Minimu Minimum Width of Use m Width Access Road (Non-ofAccess Road (Built-up) Road (Built-up)	Sl. Layout – Use Type Width of Access Road (Built-up)			
		Resident 9m up to 10 acres 12m from >10 to 25 acres 18m above 25	9m up to 10 acres 12m from >10 to 25 acres 18m above 25 acres			

		2 Non- Resid ential (Com merci 12m al & Instit ution al)	12m up to 10 acres 18m from >10 to 25 acres 24m above 25 acres	Non-Residential 12m up to 10 acres 18m from >10 to 25 acres 24m above 25 acres
6.	3.1.4.1 Standards for community facilities	II NI I LAIPGOTS I	community	uses/ activities 3.1.4.1 Standards for community facilities Standard Minimum plot area
		Social and 4. cultural facilities	ls plot area	Social and 4. cultural facilities
		Marriage P Hall/ 250 Community pop	er 000 750 ulati – 1	(a) Marriage Hall/ Community centre Marriage Hall/ Per 25000 populatio n - 1 Non-built up area) Non-built up area) >3000
7.	3.2.1 Plot sizes and requirements	3.2.1 Plot sizes and a Note: For Petrol Pu in case any amend MoPNG or any comshall automatically processing the state of the size of the s	mp/Filling Station, ment is issued by petent authority, it	y case any amendment is issued by MoPNG or
8.	3.2.2.3 Commercial – Shops /	3.2.2.3 Commerci Convenience Shop Commercial	al – Shops / pping / Other	/ 3.2.2.3 Commercial – Shops / Convenience Shopping / Other Commercial
	Convenience Shopping / Other Commercial & 15.3.2 Major Land	Other ommercial & 15.3.2 Si. Use Type Scover age Width FA		Si. Use Types Groun d Cover age (%) Road Width FAR FA
	use Zones and Notations, Standard Use	e 10%	12 0.10 -	8(a) Petrol Filling Station w/o service station (Built up) Petrol 10% ≥12m 0.10 -
		station (Built up)		

		8 Petrol Filling Statio n w/o servic c station (Non Built	8(b) Petrol Filling Station w/o service 10% ≥18m 0.15 - station (Non Built up)
9.	3.2.4 Exemption in setback	3.2.4.1 Residential — Plotted Development (Single units up to 15-meter height/Multi-units up to 17.5-meter height) Note-5: The setbacks specified in the table at paragraph 3.2.4.1 shall be applicable in the new subdivision/layout plan. But in non-built-up areas, the residential plots within layouts in which set-back is not prescribed shall also have set-back as per the above paragraph 3.2.4.1.	3.2.4.1 Residential — Plotted Development (Single units up to 15-meter height/Multiunits up to 17.5-meter height) Note-5: The setbacks specified in the table at paragraph 3.2.4.1 shall be applicable in the new subdivision/layout plan. But in non-built up areas, the residential plots within layouts shall also have set-back as per the above paragraph 3.2.4.1.
10.	3.2.4.7 Community Facilities – Public Amenity buildings height up to 15-meters	3.2.4.7 Community Facilities – Public Amenity buildings height up to 15-meters Plot Aren Setback (meter)	3.2.4.7 Community Facilities — Public Amenity buildings height up to 15-meters Plot Area (sqm) Front Rear Side-1 Side-2
11.	3.3.1.9 Exemption in setback	3.3.1.9 Porch/Portico Porch/Porticos shall be permitted within the boundary line of the plot subject to the following minimum requirements: a) Porch/portico shall be minimum 3 m wide (and maximum dimension shall be	3.3.1.9 Porch/Portico Porch/Porticos shall be permitted within the boundary line of the plot subject to the following minimum requirements: a) Porch/portico shall be minimum 3 m wide (and maximum dimension shall be 8m x 4m),

12.	3.3.4.3 Parking standards	b) Poterra. c) Sipave d) Poterra. The for uses/	ce only, paces under y d and channel orch/porticos not interfere ement. standards of buildings	in high rise buildings with the fire tender parking arrangement	c) Spaces under porch/portico shall be paved and channelled, and d) Porch/porticos in high rise buildings shall not interfere with the fire tender movement. The standards of parking arrangement for buildings of different uses/occupancies shall be as follows: (2) Commercial Regulator Regulator Regulator Regulator and the paved of the paved			
		Sl.	Use Type	Requirements in ECS	SI.	Use Type	Parking Requirements in ECS	
		4	Hotel	1.5 per 100 sqm	4	Hotel	1.25 per 100 sqm	
		(4) 1	Industrial Bui	lding	(4)	Industrial Buildin	ıg	
:		Sl.	Industrial Use Type	Parking Requirements in ECS	SI.	Industrial Use Type	Parking Requirements in ECS	
		1	Industrial Buildings	1 per 300 sqm	1	Industrial Buildings	1 per 300 sqm of Built Up area	
		2	Flatted Factories	1 per 200 sqm	2	Flatted Factories	1 per 200 sqm of Built Up area	
		3	Data	1 per 300 sqm	3	Data Centres	1 per 300 sqm of Built Up area	
13.	4.1.3 Means of Access	4.1.3 Means of Access (i) For single units, the minimum width of the road shall be 4.0 meters in built-up areas and 9-meters in non-built-up areas. However, for non-built-up area, minimum width of the road adjacent to the park/open space or roads with abutting plots proposed only on one side shall be 6.0-meter-wide up to 150-meter length and shall be 7.5-meter-wide up to 300-meter length road is permissible. (ii) For multi-units, the minimum width of road shall be 9-meters			(i) (ii)	of the road shal up areas and 9 areas. However minimum widt to the park/ope abutting plots side shall be 150-meter leng meter-wide up road is permareas, if road meters is ava permit can be of the plot is centre line.	is, the minimum width of the 4.0 meters in built-meters in non-built-up or, for non-built-up area, the of the road adjacent on space or roads with proposed only on one 6.0-meter-wide up to get and shall 'be 7.5-to 300-meter length dissible. For built up to width less than 4 wilable then Building sanctioned if the front 2 meters from road of the minimum width of	
14.	6.1.4 Ground Coverage and FAR	purch non-b perm Base	nasable FAR bedded med issible on roa	hasable or premium shall be allowed for lical establishments ads up to 12 meters. be the maximum			eleted.	

15.	16.3.3	Note-1: Compounding shall not allow	Note-1: Compounding shall not allow for
1 1	Compoundable	for change of category of the building.	change of category of the building, if not
1 1	Construction	1	permissible under applicable Zoning
			Regulations.
16.	16.3.5(i)	If in any case compounding	If in any case compounding construction falls
10.	Calculation of	construction falls under illegal	under illegal construction of more than one
	Compounding	construction of more than one kind, the	kind, the compounding fee of highest
	Fee	compounding fee of highest category	category use shall be realized as per charges
	1	use shall be realized as per charges	applicable for compounding of FAR in
		applicable for compounding of FAR in	16.3.8. Besides, calculation of compounding
		16.3.8. Besides, calculation of	fee for each floor shall be done separately,
		compounding fee for each floor shall be	However, separate compoundable fee for
		done separately, However, separate	compoundable ground-coverage shall not be
		compoundable fee for compoundable	payable.
		ground-coverage shall not be payable.	puyuoxe.
		Refer Appendix-16.	
17.	1627(0)	16.3.7 (e) In addition to charges payable	16.3.7 (e) In addition to charges payable as
1 /•	16.3.7 (e) Realization of	as per rules for purchasable FAR,	per rules for purchasable FAR, Compounding
	Compounding	Compounding fee shall also be payable	fee shall also be payable at the rates
	Fee	at the rates prescribed under Serial No	prescribed under clause 16.3.8.1 However,
		2 of the Schedule. However,	purchasable FAR charges for first 10%
		purchasable FAR charges for first 10%	purchasable FAR shall not be payable.
		purchasable FAR shall not be payable.	parendouble 17 fix blinds like 55 pay 2535.
18.	Appendix -16	Clarification: No DFBC shall be	
10.	Case-3	chargeable for plots lying outside layouts	
	Case	approved/ developed by the Authority,	
	examples	where increase in base FAR is due to	Deleted
	with	redesignation of development area as	
	illustrated	nonbuilt-up area.	
	calculations		
19.	Appendix -16	Amalgamation of residential plots of sizes	Amalgamation of residential plots of sizes Plot-P
	Case-9	Plot-P (100 sqm) and Plot-Q (200) sqm	(100 sqm) and Plot-Q (200) sqm
		(A)-Amalgamation Charges	(A)-Amalgamation Charges
		Amalgamation Charges (Residential) =	Amalgamation Charges (Residential) = Amalgamated Plot Area * Circle Rate * 1%
.		Amalgamated Plot Area * Circle Rate * 1% Amalgamation (Non-residential) =	Amalgamated Plot Area * Circle Rate * 1% Amalgamation (Non-residential) = Amalgamated
		Amalgamation (Non-residential) = Amalgamated Plot Area * Circle Rate * 2%	Plot Area * Circle Rate * 1%
		Amarganiated Firt Area Circle Rate 270	TIOUTAGE CITOU RAIS 178

4- अतएव श्री राज्यपाल उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-92 की उपधारा-(2) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41 की उपधारा-(1) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत समस्त विकास प्राधिकरणों को उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि उपविधियाँ-2025 में किये गये उपर्युक्त संशोधनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश देते हैं।

> भवदीय, Digitally signed by GURU PRASAD PORALA (**पीक सुरूप्रभार)**25 1**प्रकृष्ट स्पे**चिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

and and con-

2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

per transfer

3. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

- 4. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
- 5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
 6. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया शासनादेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेब साइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से, पी0 गुरूप्रसाद प्रमुख सचिव